



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2016/भाद्र 31, 1938

No. 661]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2016/BHADRA 31, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 899(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समैन केडर) भर्ती नियम 2014 में सा०का०नि० संख्या 88 (अ) तारीख 5 फरवरी, 2014 के तहत भारत के गजट में प्रकाशित अधिसूचना के क्रम में और निम्नलिखित संशोधन करती है 'अर्थात्' :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समैन केडर) संशोधन भर्ती नियम, 2016 है।
- ये, इनके राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- अंग्रेजी भाषा में नियम 12 के पश्चात और सारणी में प्रविष्टियों से पूर्व, शीर्ष 'अनुसूची' अंतःस्थापित किया जाएगा।
- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समैन केडर) भर्ती नियम, 2014 की अनुसूची में खेलकूद कोटे में सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित "शैक्षिक अर्हताएं" से संबंधित स्तम्भ सं० 7 में निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) (क) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के प्रति एतद्द्वारा निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाता है:-

(i) शिक्षा :-

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

(ii) शारीरिक मानदंड :-

	पुरुष	स्त्री
ऊँचाई	170 से.मी.	157 से.मी.
छाती	80 से.मी.	लागू नहीं
वजन	ऊँचाई और आयु के अनुसार	

(iii) चिकित्सा मानदंड :-

- (क) दृष्टि :- न्यूनतम निकट की दृष्टि एन 6 (अच्छी दृष्टि) और एन. 9 (बाधित दृष्टि) होनी चाहिए। न्यूनतम दूर की दृष्टि 6/6 (अच्छी दृष्टि) 6/9 (बाधित दृष्टि) होनी चाहिए। दाएं हाथ का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की दायीं दृष्टि और बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की बायीं दृष्टि है। मानक बिना किसी बिना किसी दृष्टि सुधार यहां तक की बिना चश्मों के होना चाहिए।
- (ख) अभ्यर्थियों के घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए, चपटे पांव, भंगी आंखें या वेरीकोस वेन्स नहीं होनी चाहिए, उनकी वर्ण दृष्टि उच्च होनी चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ किसी अन्य शारीरिक विकृति से मुक्त होने चाहिए जो कुशलतापूर्वक उनके दायित्वों का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- (iv) सरकारी नीति के अनुसार खेल-कूद में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला/पदक विजेता।
- (v) एनसीसी 'बी' या 'सी' प्रमाण पत्र धारक वांछनीय होगा।

(ग) 'परिवीक्षा अवधि यदि कोई है' से संबंधित स्तम्भ संख्या (9) में निम्नलिखित पढ़ा जाए :-

“ सीधे नियुक्त व्यक्ति के लिए दो वर्ष ”

(घ) विभागीय प्रोन्नति समिति से संबंधित स्तम्भ सं0 12 में निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाता है :-

विभागीय स्थाईकरण समिति (स्थाईकरण के लिए) में निम्न होंगे :-

- | | | |
|---------------------------|---|---------|
| (i) पुलिस महानिरीक्षक | — | अध्यक्ष |
| (ii) पुलिस उप महानिरीक्षक | — | सदस्य |
| (iii) कमान्डेंट | — | सदस्य |
| (iv) उप कमाण्डेन्ट | — | सदस्य |

[फा. सं. एम. पांच-1/2014-स्था. (पदो. कक्ष/सीआरपीएफ)]

आ. बी. एस. नेगी, उप सचिव (कार्मिक)

टिप्पण :- मूल नियम के सा.का.नि. सं. 88(अ) तारीख 5.2.2014 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2016

G.S.R. 899(E).—In exercise of the power conferred by sub-section(1) of section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government in continuation of notification published in the Gazette of India vide G.S.R. number 88(E) dated the 5th February, 2014 and hereby makes the following amendments to the Central Reserve Police Force Group 'B' posts (General Duty, Technical and Tradesmen Cadre) Recruitment Rules, 2014, namely :-

- (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Group 'B' posts (General Duty, Technical and Tradesmen Cadre) Amendment Recruitment Rules 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In English version after rule 12 and before entries in table, the heading "Schedule" shall be inserted.
- In the Schedule to the Central Reserve Police Force Group 'B' (General Duty, Technical, Tradesmen Cadre) Recruitment Rules, 2014 against serial number 2 relating to the post of Inspector (General Duty) (a) in Column number 7 related to 'Educational and other qualifications required for direct recruitment, the following clauses are hereby inserted :-

(i) Education :

Bachelor's Degree from a recognised university/Graduation from recognized university.

(ii) Physical Standard :

	Men	Women
Height	170 Cms	157 Cms
Chest	80 Cms	Not applicable
Weight	According to height and age.	

(iii) Medical Standards :

- (a) **Eye Sight:** The minimum near vision should be N6 (better eye) and N9 (worse eye). The minimum distant vision should be 6/6 (better eye) and 6/9(worse eye). In right-handed person, the right eye is better eye and vice versa. The standards should be without visual correction of any kind even by glasses.
- (b) The candidate must not have knock-knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.
- (iv) Excellent /Medal winning performance in sports in national / international level as per Govt. policy.
- (v) Possession of NCC 'B' or 'C' certificate shall be desirable.
- (c) in column number (9) related to 'Period of probation if any', the following may be read :-
"Two years for direct recruits."
- (d) in column number (12) related to Departmental Promotion Committee the following clause is hereby inserted :-

The Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

- | | | |
|-------|------------------------------------|-------------|
| (i) | Inspector General of Police | - Chairman, |
| (ii) | Deputy Inspector General of Police | - Member, |
| (iii) | Commandant | - Member, |
| (iv) | Deputy Commandant | - Member. |

[No. M.V.1/2014-Estt(P.Cell/CRPF)]

R. B. S. NEGI, Dy. Secy. (Pers)

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 88(E) dated 05/02/2014.